न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-03, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांकः 07-08-2026
सेशन प्रकरण संख्या:25/25
सी.आई.एस नंबर 44/25
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या -41/25 थाना एनईबी
अंतर्गत धारा -109[1] भारतीय न्याय संहिता, 3/25 आर्म्स एक्ट
अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
उपस्थितः-अभियोजन अधिकारी ।
-श्री अजीत यादव, अभियोजन अधिकारी ।

बनाम

अभियुक्तगणः-

1. तार मौहम्मद उर्फ तारा पुत्र श्री जुहरू खां निवासी शेखपुर थाना सदर अलवर हाल अकबरपुर थाना अकबरपुर जिला अलवर

.

उपस्थितः-श्री संतराज गूर्जर विद्वान अधिवक्ता ।

-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

अपराध की तिथि	27.01.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	28.01.2025
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	17.04.2025
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	09.09.2025
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	07.10.2025
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	07.08.2026
निर्णय की तिथि	07.08.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि [यदि हो तो]	निल

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

क.अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी डब्ल्यू 1	दीपक शर्मा	ताईद एफआईआर, बयान 180 बीएनएसएस
पी डब्ल्यू 2	राजीव कुमार शर्मा	नक्शा मौका घटनास्थल, फर्द जब्ती खून आलूदा कपडे
पी डब्ल्यू 3	डॉ. के.के.मीणा	एमएलआर
पी डब्ल्यू 4	राजकुमार	मालखाना जमा करना
पी डब्ल्यू 5	अल्ताफ खां	नक्शा मौका घटनास्थल, फर्द जब्ती खून आलूदा कपडे
पी डब्ल्यू 6	गौरव भट्टाचार्य	एक्स रे रिपोर्ट
पी डब्ल्यू 7	मोहनलाल	चाक एफआईआर, हालात तफतीश
पी डब्ल्यू 8	मनोज सैनी	बयान 180 बीएनएसएस

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	निल	निल

-अभियोजन /बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

क.अभियोजन

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	दस्तावेजो की प्रकृतिप्रदर्श संख्या
1	प्रदर्श पी–01	पर्चा बयान श्री दीपक कुमार
2	प्रदर्श पी–02	नक्शा मौका घटनास्थल
3	प्रदर्श पी–03	फर्द जब्ती एक जर्सी उनी पूरी बाजू रंग लाल खून आलूदा

4	प्रदर्श पी–04	पेश तहरीर द्वारा दीपक शर्मा
5	प्रदर्श पी–05	चोट प्रतिवेदन पत्र दीपक कुमार
6	प्रदर्श पी–06	एफआईआर संख्या 70/2025 थाना कोतवाली अलवर
7	प्रदर्श पी–07	तहरीरी रिपोर्ट
8	प्रदर्श पी–08	अंतिम प्रतिवेदन
9	प्रदर्श पी–09	फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम दीपक कुमार शर्मा
10	प्रदर्श पी–10	फर्द बरामदगी देशी कटटा 315 का नक्शा मौका इत्तला 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम अनुसार मुलजिम तार मौहम्मद
11	प्रदर्श पी–11	फर्द जब्ती एक देशी कटटा 315 मुलजिम तार मौहम्मद
12	प्रदर्श पी–12	फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम तार मौहम्मद मुकदमा नंबर 70/2025 में
13	प्रदर्श पी–13	पेश तहरीर बाबत मुआयना कटटा
14	प्रदर्श पी–14 व 20	एक्स रे रिपोर्ट दीपक कुमार
15	प्रदर्श पी–15ए	प्रमाणित प्रति असल मालखाना रजिस्टर थाना एनईबी
16	प्रदर्श पी–16ए	असल मालखाना रजिस्टर की प्रति
17	प्रदर्श पी–17	एक्स रे का कवर नोट दीपक कुमार
18	प्रदर्श पी–18 व 19	एक्स रे प्लेट
19	प्रदर्श पी–21	एफआईआर संख्या 41/2025 थाना एनईबी
20	प्रदर्श पी–22	डिस्चार्ज टिकिट दीपक कुमार

21	प्रदर्श पी–23	बीएचटी दीपक कुमार
22	प्रदर्श पी–24	फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम तार मौहम्मद उर्फ तारा मुकदमा नंबर 41/2025 में
23	प्रदर्श पी–25	फर्द इत्तला 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुलजिम तार मौहम्मद उर्फ तारा
24	प्रदर्श पी–26	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल
25	प्रदर्श पी–27	फर्द इत्तला 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा आरोपी तार मौहम्मद उर्फ तारा
26	प्रदर्श पी–28	फर्द जब्ती एक खाली कारतूस बरंग पीला आरोपी तार मौहम्मद उर्फ तारा
27	प्रदर्श पी–29	फर्द बरामदगी खाली कारतूस स्थल का नक्शा मौका
28	प्रदर्श पी–30, 31, 33, 34, 37	रोजनामचे का विवरण
29	प्रदर्श पी–32	आरमोरर रिपोर्ट
30	प्रदर्श पी–35	नोटिस धारा 35 (1)(ख)(ii) बीएनएसएस
31	प्रदर्श पी–36	पेश तहरीर श्रीमान एमओ जीएच अलवर को बाबत मजरूब दीपक शर्मा के बयान लेखबद्ध हेतु
32	प्रदर्श पी 37	पत्र थानाधिकारी थाना एनईबी अलवर दिनांक 07.04.25

क.बचाव

क्रम संख्या	**दस्तावेजों की प्रकृति**	**प्रदर्श डी. संख्या**

1	बयान 180 बीएनएसएस दीपक कुमार	प्रदर्श डी 1
2	तितम्बा बयान धारा 180 बीएनएसएस दीपक कुमार	प्रदर्श डी 2

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक: 07.08.2026</u>**

01. यह सेशन प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय से **अभियुक्त तार मौहम्मद उर्फ तारा** के विरूद्व अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ।

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी दीपक कुमार ने पर्चा बयान प्रदर्श पी 1 दिनांक 28.01.2025 को इस आशय का दिया कि दिनांक 27.01.2025 को समय करीब 7.00 पी.एम पर वह दीनू ट्रक बॉडी मेकर ट्रांसपोर्ट नगर अलवर से उसकी बाईक से घर जा रहा था । वह जैसे ही राठ स्कूल के पास पहुंचा तो पीछे से दो मोटरसाईकिल आयी जिनमें एक मोटरसाईकिल पर सरजीत व सरजीत का लडका संजू खान व दूसरी मोटरसाईकिल पर सरजीत का छोटा लडका जिसका वह नाम नहीं जानता जिसके साथ एक लडका और था जिसका भी नाम नहीं जानता है उसके आगे दोनों मोटरसाईकिल लगाकर रोक दिया । उसने सोचा बात करेगें । संजू ने पेंट की आंट से कट्टा निकालकर उस पर फायर कर दिया जो उसके पेट के बांयी तरफ लगी वह वहीं पर पड गया और ये लोग मोटरसाईकिल लेकर भाग गये । वह चिल्लाया तो भीड इकट्ठा हो गयी फिर किसी ने भीड में से एंबूलेंस को फोन किया जो उसे एंबुलेंस वाले लेकर सामान्य अस्पताल लेकर गये । घटना पर नरेश जादौन था जिसने यह घटना देखी है। उसके दोस्त तार मौहम्मद से संजू खान का विवाद चल रहा है । वह तार मौहम्मद का साथ देता है इसलिए संजू ने उसके उपर कट्टा से जानलेवा हमला किया । अतः कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया ....इत्यादि ।

.

03. उक्त रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 41/2025 थाना एन.ई.बी अन्तर्गत धारा 109(1), 3(5) बीएनएस तथा 3/25 आयुध अधिनियम में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया ।

04. इसी दौरान प्रार्थी दीपक कुमार ने एक प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 4 थाना एनईबी

अलवर में इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 27.01.2025 को उसके साथ घटना करने वाला केवल तार मौहम्मद ही था अन्य कोई तार मौहम्मद के साथ नहीं था । उसके पेट में गोली देशी कट्टा से तार मौहम्मद ने ही मारी थी । तथा तार मौहम्मद ने उसे धमकी देकर कहा था कि गोली मारने की पुलिस द्वारा पूछने पर संजय खांन व सरजीत खान का नाम ले लेना । उसने डर के कारण पुलिस को बयान में सरजीत खान व संजय खांन द्वारा गोली मारना बताया था। जबकि उसके गोली तार मौहम्मद उर्फ तारा ने ही मारी थी । सरजीत खांन व संजय खान व अन्य किसी ने उसके गोली नहीं मारी थी। उसने डर के कारण तारा उर्फ तार तौहम्मद के कहने पर रिपोर्ट बढा चढा कर बतायी थी । **उक्त प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 4 को दौराने अनुसंधान एफ.आई.आर के साथ संलग्न किया गया व अनुसंधान किया गया ।**

05. बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 109(1), 3(5) बीएनएस तथा 3/25 आयुध अधिनियम में दिनांक 17.04.2025 को प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 3(5) बीएनएस तथा 3/25 आयुध अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया गया।

06. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 109[1] बीएनएस तथा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाये गये जिसे सुन समझकर अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया व अन्वेक्षा चाही।

07. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 351 बीएनएसएस लेखबद्ध किये गये जिनमें अभियुक्त ने जुर्म अस्वीकार करते हुए कथन किया कि वह निर्दोष है उसका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। उसे रंजिशवश झूंठा फंसाया गया है । साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना चाहा । अवसर दिये जाने के बावजूद अभियुक्त की ओर से साक्ष्य प्रतिरक्षा में किसी गवाह को पेश कर परीक्षित नहीं कराया गया ।

08. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है-

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.01.2025 को समय करीब 7.00 पी.एम पर या इसके लगभग किसी समय सरहद मौजा राठ स्कूल अलवर के पास परिवादी/आहत दीपक कुमार शर्मा पर प्राणघातक हमला करते हुए देशी कट्टे से

फायर कर उक्त आहत के शरीर पर गोली चलाकर इस आशय का ज्ञान सहित उपहति कारित की, जिससे यदि उक्त आहत की मृत्यु कारित हो जाती तो अभियुक्त हत्या के अपराध का दोषी होता ?

2. क्या दिनांक 12.02.2025 को समय 2.05 पी.एम पर सरहद मौजा ट्रांसपोर्ट नगर में कचरा व झाडियों में से अभियुक्त के चैतन्य व अनन्य कब्जे से बिना वैद्य अनुज्ञा पत्र के एक खाली कारतूस पीतल जैसी धातु का बरामद हुआ ?

यदि हाँ तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

09. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि पर्चा बयान में अभियुक्त के नाम का अंकन नहीं किया गया है और बाद में पुलिस ने गलत तरीके से अभियुक्तगण व परिवादी से सांठ-गांठ करके प्रदर्श पी 4 रिपोर्ट लेकर अभियुक्त के विरूद्ध झूंठा चालान प्रस्तुत किया है। और परिवादी ने न्यायालय में भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी, बल्कि पर्चा बयान के अनुसार साक्ष्य दी है और किसी भी गवाह ने अभियुक्त को गोली मारते हुए नहीं देखा और जो छर्रे आदि बरामद करना बताये हैं वह धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति को साबित करने के लिए कलैक्टर की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं करवायी गयी है। और कट्टा भी अभियुक्त से जब्त नहीं किया गया है। गवाहों ने विरोधाभासी साक्ष्य दी है। परिवादी स्वयं पक्षद्रोही घोषित हुआ है । अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जाए ।

10. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन की कहानी को स्थापित करती है जिससे अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

11. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रकरण में **गवाह पी डबल्यू 1 दीपक शर्मा है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कुछ कथन तो तहरीरी रिपोर्ट के अनुसरण में करता है और कुछ भिन्न कथन करता है और उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है।** उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दीनू ट्रक बॉडी मेकर ट्रांसपोर्ट नगर अलवर के पास काम करता है । दिनांक 27.01.2025 को करीब सात-साडे सात बजे की बात है वह दीनू ट्रक बॉडी मेकर ट्रांसपोर्ट नगर से बाईक

से उसके घर जा रहा था। राठ स्कूल से पहले संजय खान, उसके पिता सरजीत खान व उसका भाई एक मोटरसाईकिल पर आए व एक अन्य मोटरसाईकिल पर तीन अन्य लोग थे जिनका नाम वह नहीं जानता। अचानक आगे आकर गाडी रोकी व आंट में से कटटा निकाल कर उसके उपर फायर कर दिया। फिर वे लोग वहां से भाग गए वह वहीं बेहोश हो गया। फिर उसे वहां से अस्पताल ले गए। पुलिस ने उसके पर्चा बयान लिए थे जो प्रदर्श पी.01 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। जिसकी पुश्त कार्यवाही पुलिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 तैयार किया था। जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

12. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसने वक्त घटना पहने हुए कपडे जर्सी पुलिस को पेश की थी । जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.03 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। इस जर्सी को सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर किया गया था एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। प्रार्थना पत्र जो थानाधिकारी को पेश किया था वह प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी आई चोटों का मेडिकल मुआयना हुआ था जो चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके आई चोटों का एक्स रे भी हुआ था एक्स रे रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। वह राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुआ था जिसके कागजात शामिल पत्रावली है। उसके उपर तार मौहम्मद द्वारा कोई फायर नहीं किया गया था ।

13. उक्त गवाह अपर लोक अभियोजक द्वारा की गयी जिरह में यह भी कथन करता है कि नरेश यादव घटना के वक्त मौजूद नहीं था । वह बाद में आया था । वह तार मौहम्मद को नहीं जानता । प्रदर्श पी 6 चाक एफआईआर व प्रदर्श पी 7 तहरीरी रिपोर्ट उसके व तार मौहम्मद के खिलाफ संजय ने दर्ज करायी हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। उसके खिलाफ उक्त मुकदमें में चालान पेश हो चुका है जो चार्जशीट प्रदर्श पी 8 है। मुकदमा नंबर 70/25 में उसकी गिरफ्तारी भी हुयी थी जो प्रदर्श पी 9 है। प्रदर्श पी 10 फर्द बरामदगी देशी कट्टा नक्शा मौका, प्रदर्श पी 11 फर्द जब्ती देशी कट्टा, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम तार मौहम्मद प्रदर्श पी 12, आरमोर्रर रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 तक दस्तावेज उसके व तार मौहम्मद के विरूद्ध जो मुकदमा नंबर 41/25 है उसके दस्तावेज हैं। प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 4 के बारे में उसे नहीं पता ।

14. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह पर्याप्त रूप से विरोधाभासी कथन करता है और यह उल्लेख करता है कि उसके साथ में जो घटना हुयी वह उसने पर्चा बयान प्रदर्श पी 1 में बतायी थी और पर्चा बयान देते समय वह होश हवाश में था । उक्त गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में भी अधिकांश कथन पर्चा बयान के द्वारा दिये गये हैं जबकि प्रस्तुत प्रकरण में संजू व सरजीत आदि को अभियुक्त नहीं बनाया गया है। और तार मौहम्मद के संबंध में परिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कोई कथन नहीं कहे हैं कि अभियुक्त तार मौहम्मद ने उसके गोली मारी हो । और पुलिस के द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराना उक्त गवाह बताता है । और जिरह में स्पष्ट कथन करता है कि हाजिर अदालत अभियुक्त तार मौहम्मद ने उसके उपर कोई फायर नहीं किया और ना ही उसके पास में कोई हथियार या कट्टा था।

15. इस प्रकार उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में पर्याप्त रूप से विरोधाभासी कथन करता है और कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं कर पाता है कि उसके गोली की संजय ने मारी या तार मौहम्मद ने मारी और अभियुक्त तार मौहम्मद के विरूद्व कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं देता है।

16. **गवाह पी डब्ल्यू 2 राजीव कुमार शर्मा, पी डब्ल्यू 5 अल्ताफ खां दस्तावेजों के गवाह हैं।** उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि दीपक के साथ टांसपोर्ट नगर में घटना घटी थी। पुलिस ने दीपक के द्वारा पहने हुए कपडे एक जर्सी उनी पुरी बाजू रंग लाल जब्त की जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर सी से डी राजीव कुमार शर्मा, ई से एफ अल्ताफ खां के हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने नक्शा मौका घटनास्थल बनाया जो प्रदर्श पी 02 है जिस पर सी से डी राजीव कुमार शर्मा, ई से एफ अल्ताफ खां के हस्ताक्षर हैं ।

17. जिरह में भी उक्त दोनों गवाह यह स्पष्ट कथन करते हैं कि उनके सामने पुलिस ने ना तो नक्शा मौका बनाया और ना ही कोई कपडे बरामद किये । और नक्शा मौका बनाते समय किसी अडौसी पडौसी ने यह नहीं बताया कि दीपक के गोली कैसे लगी व किसने मारी ।

18. **गवाह पी डब्ल्यू 8 मनोज सैनी पक्षद्रोही घोषित हुआ है।** उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह एच.पी गैस कंपनी में गैस सलेण्डर

सप्लाई का काम करता है। घटना से दो महिने पहले तार मौहम्मद से जानकारी हुयी थी । तार मौहम्मद ने करीब डेढ साल पहले उसे कहीं मिलने के लिए नहीं बुलाया था और ना ही वह ट्रांसपोर्ट हनुमान सर्किल पर गया और ना ही उसने कोई घटना होते हुए देखी । उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

19. उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

20. **गवाह पी डब्ल्यू 3 डॉ. के.के.मीणा है। उक्त गवाह ने मजरूब के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना किया था ।** उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 29.01.25 को सामान्य चिकित्सालय अलवर मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने मजरूब दीपक कुमार पुत्र श्री शिवचरण के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल किया था। जिसके अनुसार मजरूब के शरीर पर निम्न चोटे पाई गई:-

चोट संख्या 1- पेट पर दाहिने तरफ कमर से 9.5 से.मी. उपर 1 से.मी. परिधी का पंचर प्रकार का घाव।

चोट संख्या 2- चोट संख्या 1 से 5 से.मी. उपर की तरफ एवं बगल में 2 से.मी. परिधी का गोलाकार घाव जिसकी मार्जिन पर कालापन मौजूद था एवं मार्जिन घिसी हुई थी।

दो चोटो की राय एक्सरे रिपोर्ट एवं ईलाज के दस्तावेजो के अवलोकन के बाद दिया जाना सुरक्षित रखा गया। मजरूब दीपक कुमार की चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है। जिस पर ए से बी मजरूब के हस्ताक्षर व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। कॉलम संख्या 6 में मजरूब का पहचान चिन्ह है। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर तथा सी से डी उसकी राय है। उसकी राय में एम.एल.सी रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट व ईलाज के दस्तावेजो मे भर्ती टिकिट का अवलोकन करने के आधार चोट संख्या 1 प्रोजेक्टाईल फायर आर्म (आग्नेयास्त्र) का एन्ट्री घाव एवं चोट संख्या 2 प्रोजेक्टाईल फायर आर्म (आग्नेयास्त्र) का एक्जीट घाव था एवं दोनो चोटें साधारण प्रकृति की थी।

21. जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि परीक्षण एवं ईलाज के दौरान मजरूब के शरीर से कोई धातु की वस्तु या पैलेट नहीं निकाले गये । चोट संख्या 1 में कोई कालापन या टेटूईंग मौजूद नहीं थी । वक्त परीक्षण मजरूब के वाईटल सामान्य थे ।

22. **गवाह पी डब्ल्यू 6 डॉ. गौरव भट्टाचार्य रेडियोलोजिस्ट है।** उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है। वह दिनांक 29.01.2025 को जिला चिकित्सालय अलवर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत था। उस दिन दीपक कुमार के एक्स रे का अवलोकन कर उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 है जिस पर ई से एफ उसकी राय व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसकी राय अनुसार मजरूब के पेट के एक्स रे में कोई फ्री गैस दोनों डायफ्राम के नीचे होना नहीं पाया गया और ना ही कोई धातुनुमा वस्तु पेट के भीतर होनी पाई गई। जो एक्स रे का कवर नोट प्रदर्श पी 17 है तथा एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी 18 व 19 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मरीज दीपक कुमार के पेट के एक्स रे पुनः कराने हेतु राय दी गई दी जो प्रदर्श पी 20 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

23. जिरह में भी उक्त गवाह यह किान करता है कि मजरूब के पेट के एक्स रे में कोई धातुनुमा वस्तु का होना नहीं पाया गया ।

24. **गवाह पी डब्ल्यू 4 राजकुमार मालखाने का गवाह है।** उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 29.01.2025 को पुलिस थाना एनईबी में एचएम मालखाना के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नंबर 41/2025 में आईओ मोहनलाल एएसआई ने एक सफेद कपडे की थैली में शील्ड मार्का ए जिसमें एक जर्सी लाल रंग की जिस पर स्टिकर पर एयूआरईयूएस एक्सएल गले पर पीछे की तरफ लिखा हुआ है जिसके दायीं तरफ कमर में दो जगह छेद है। इनके पास सिलाई उधडी हुई है। जिसके पास गहरा रंग खून जैसे दाग लगे हुए है। जो उसे मालखाना में जमा करने हेतु मय फर्द जब्ती के दिया गया जिसकों उसने असल मालखाना रजिस्टर के मद संख्या 900 पर दर्ज कर जमा मालखाना किया। जो प्रदर्श पी 15 है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 15 ए है।

25. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दिनांक 12.02.2025 को आईओ मोहनलाल एएसआई ने एक प्लास्टिक की छोटी डिब्बी शील्ड मार्का बी में एक खाली कारतूस पीतल जैसी धातू का जिसके पैंदे पर आठ एमएम व केएफ अंकित है आगे से पतला और पीछे से पैंदे पर पॉन प्वाइंट पर झिरी बनी हुई है जिस पर टाइगर से पॉन का निशान बना हुआ है जो अंदर से खाली है। जो उसे मालखाना में जमा करने हेतु मय फर्द जब्ती के दिया गया जिसको उसने असल मालखाना रजिस्टर के मद संख्या 911 पर दर्ज कर जमा मालखाना किया। जो प्रदर्श पी 16

है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 16ए है।

26. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि प्रदर्श पी 15 उसे सील्डशुदा मिला था । उसने उक्त माल को खोलकर नहीं देखा और फर्द जब्ती के अनुसार ही उसने यह कथन कहे हैं कि जो माल उसे जमा कराया गया था वह कट्टा था । आरमोर्रर के पास माल को रामकिशन लेकर गया था । इस प्रकार उक्त गवाह मालखाने में माल को जमा करने के बाबत स्पष्ट रूप से साक्ष्य देता है।

27. **गवाह पी डब्ल्यू 7 मोहनलाल अनुसंधान अधिकारी है**। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 28.01.2025 को थाना एनईबी पर एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थानाधिकारी के द्वारा सरकारी अस्पताल अलवर में बेड नंबर 04 आईसीयू में भर्ती मजरूब दीपक कुमार शर्मा के बयान वास्ते भेजने पर उसके द्वारा मजरूब दीपक के पर्चा बयान प्रदर्श पी 01 सरकारी अस्पताल में जाकर मजरूब के कथनानुसार लेखबद्ध किए जिस पर ए से बी मजरूब दीपक व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जिस पर मजरूब के बयान लेखबद्ध किए जाकर प्रदर्श पी 01 की पुश्त पर आई से जे उसके द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित की जाकर जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा ए से बी मजरूब के हस्ताक्षर करवाएं। वापसी थाना होकर पर्चा बयान को थानाधिकारी के समक्ष पेश करने पर थानाधिकारी के द्वारा मुकदमा नंबर 41/2025 अतंर्गत धारा 109,3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज कर तफतीश आईओ के जिम्मे की। जिस पर थानाधिकारी द्वारा के से एल मुकदमा दर्ज किए जाने व तफतीश उसके नाम किए जाने का नोट है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। तथा एम से एल थानाधिकारी दिनेश के हस्ताक्षर व ओ से पी एफआईआर नंबर का नोट अंकित है। थानाधिकारी दिनेश मीणा के अधीनस्थ कार्य किए जाने के कारण वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है।

28. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि चाक एफआईआर प्रदर्श पी 21 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर थानाधिकारी दिनेश मीणा के डिजिटल हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान मजरूब दीपक के शरीर पर आई चोटों का चोट प्रतिवेदन पत्र प्रदर्श पी 05 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया तथा एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 14, 20 व एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी 17 व मजरूब दीपक का डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श पी 22 व बीएचटी की प्रमाणित

प्रति प्रदर्श पी 23 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की तथा बयान 180 बीएनएसएस गवाहान नरेश जादौन, मनोज सैनी, व मजरूब दीपक कुमार के बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 मुस्तगीस दीपक की निशादेही व गवाहान की उपस्थिति में तैयार किया जिस पर ए से बी मुस्तगीस, सी से डी, ई से एफ गवाहान व जी से एच उसके हस्ताक्षर है जिसकी पुश्त पर आई से जे हालात मौका व जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

29. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दौराने अनुसंधान दिनांक 29.01.2025 को मुस्तगीस ने वक्त घटना पहने हुए कपडे एक जर्सी उनी रंग लाल खून आलूदा उसके समक्ष पेश की जिसे उसके द्वारा बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया जाकर जब्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया जाकर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 03 उसके द्वारा तैयार की । जिस पर ए से बी मजरूब, सी से डी, ई से एफ गवाहान व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना शील अंकित है। मजरूब के द्वारा दौराने अनुसंधान दी गयी तहरीर प्रदर्श पी 04 को उसके द्वारा शामिल पत्रावली किया जिस पर सी से डी शामिल पत्रावली किए जाने का नोट व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है ।

30. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि जिस पर उसके द्वारा मजरूब दीपक के तितम्बा बयान 180 बीएनएसएस उसके कथनानुसार लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए। दौराने अनुसंधान आरोपी तार मोहम्मद उर्फ तारा के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अतंर्गत धारा 109,3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में प्रमाणित पाए जाने पर एवं आरोपी के पुलिस थाना कोतवाली में पृथक से मुकदमा 70/2025 में गिरफतारी की सूचना पर मुकदमा नंबर 70/2025 थाना कोतवाली की चाक एफआईआर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 06, तहरीर रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 07, चार्जशीट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 08, गिरफतारी दीपक प्रदर्श पी 09, बरामदगी प्रदर्श पी 10 व 11, गिरफतारी तार मोहम्मद प्रदर्श पी 12, आरमोरर रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की।

31. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिम तार मोहम्मद उर्फ तारा को जरिए प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर बाद अनुसंधान गिरफतार कर फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 24 उसके द्वारा तैयार की ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके

व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान दिनांक 11.02.2025 को ही मुलजिम तार मोहम्मद उर्फ तारा के द्वारा स्वेच्छा से आईओ को इत्तला दी कि उसने दीपक शर्मा के जिस स्थान पर देशी कटटा से गोली मारी थी उस स्थान को चलकर बता सकता है। जिसकी फर्द इत्तला दफा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मुलजिम के कथनानुसार प्रदर्श पी 25 तैयार की जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम के द्वारा दी गयी इत्तला अनुसार घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 26 उसके द्वारा तैयार किया जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है।

32. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि दिनांक 12.02.2025 को मुलजिम के द्वारा स्वेच्छा से आईओ को इत्तला दी की उसने दिनांक 27.01.2025 को दीपक शर्मा के देशी कटटा से फायर किया था जिसके खाली कारतूस को उसने भागते समय टांसपोर्ट नगर मे झाडियों मे फेंका था जिसे वह चलकर बरामद करा सकता है। जिसकी फर्द इत्तला दफा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मुलजिम के कथनानुसार प्रदर्श पी 27 उसके द्वारा तैयार की जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है।

33. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन मुलजिम के द्वारा दी गयी इत्तलानुसार एक खाली कारतूस रंग पीला मुलजिम के द्वारा आईओ को पेश करने पर खाली कारतूस को मौके पर ही एक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर शील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया जाकर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 28 उसके द्वारा तैयार की जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर चार जगह नमूना सील अंकित है। उसी दिन बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 29 उसके द्वारा तैयार किया गया जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है। जिसकी पुश्त पर आई से जे हालात मौका व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

34. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि प्रकरण में जब्तशुदा माल को जमा मालखाना करवाया जाकर मालखाना इंचार्ज से मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 15ए व 16ए प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। मजरूब दीपक शर्मा के सरकारी अस्पताल अलवर में बयान लिए जाने की रवानगी रपट प्रदर्श पी 30

व वापसी रपट प्रदर्श पी 31 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। प्रकरण में जब्तशुदा खाली खोका की आरमोरर रिपोर्ट करवाई जाकर आरमोरर रिपोर्ट प्रदर्श पी 32 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। तथा आरमोरर रिपोर्ट बाबत भेजे गए रामकिशन कानि की रवानगी व वापसी की रपट प्रदर्श पी 33 व 34 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की।

35. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिम को गिरफतारी से पूर्व दिया गया नोटिस प्रदर्श पी 35 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। मजरूब के सरकारी अस्पताल अलवर में बयान से पूर्व एमओ साहब जीएच अलवर को मजरूब के बयान दिए जाने की स्थिति के बारे में अवगत करवाये जाने हेतु दी गयी तहरीर प्रदर्श पी 36 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी एमओ साहब के द्वारा बयान देने की स्थिति में होने का नोट व ई से एफ उनके हस्ताक्षर है। प्रकरण हाजा में वांछित देशी कटटा दीगर प्रकरण संख्या 70/2025 पुलिस थाना कोतवाली में जब्त होने से उसकी फर्द जब्ती व आरमोरर रिपोर्ट व एफआईआर की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की। प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति दीगर प्रकरण में 70/2025 पुलिस थाना कोतवाली में जब्त होने से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नही होने पर थानाधिकारी द्वारा प्राप्त होने पर पेश करने की इजाजत बाबत दी गयी तहरीर प्रदर्श पी 37 है। जिस पर ए से बी थानाधिकारी दिनेश मीणा के हस्ताक्षर है जिनके अधीनस्थ कार्य किए जाने के कारण मैं उनके हस्ताक्षरों को पहचानता है।

36. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि सम्पूर्ण तफतीश से मुलजिम तार मोहम्मद उर्फ तारा के विरूद्ध अपराध 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर एवं अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किए जाने के आधार पर पत्रावली थानाधिकारी को पेश की। थानाधिकारी के द्वारा उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसाा मुलजिम तार मोहम्मद उर्फ तारा के विरूद्ध अपराध 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध में चार्जशीट नंबर 57/2025 दिनांक 05.04.2025 को किता कर चालान न्यायालय में पेश किया। जिस पर ए से बी थानाधिकारी दिनेश मीणा के हस्ताक्षर है। जिनके अधीनस्थ कार्य किए जाने के कारण वह उनके हस्ताक्षरों को पहचानता है। तथा एक्स स्थान पर उसके डिजिटल हस्ताक्षर है।

37. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि प्रकरण में जब्तशुदा माल शील्डशुदा एक सफेद कपडे की थैली जिस पर मार्का ए, मुकदमा नंबर 41/2025 आदि की

चिट चेपा लगी हुई है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मजरूब के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना शील अंकित है। जिसे अनशील्ड किया जिसमें एक जर्सी लाल रंग की जिस पर स्टिकर एयूआरईयूएस एक्स एल गले पर पीछे की तरफ लिखा हुआ है। जिस पर दायीं तरफ कमर में दो जगह छेद है जिनके पास सिलाई हटी हुई है एवं खून के दाग लगे हुए है मिले जो आर्टिकल वन है तथा एक शील्ड अवस्था में प्लास्टिक की डिब्बी जिस पर मार्का बी खाली खोका 315 बोर आदि का चिट लगी हुई है जिस पर ए से बी गवाह व सी से डी आरमोर्रर पूरण सिंह के हस्ताक्षर है। जिसे अनशील्ड करने पर एक खाली कारतूस पीतल जैसी धातु जिसकी पैंदी पर आठ एमएम के एफ अंकित है। आगे से पतला व पीछे से पैंदी पर पिन पॉइंट पर झिरी बनी हुई है जिस पर टाइगर से पिन का निशान बना हुआ है। जो अंदर से खाली है। जिसका बोल्ट निकला हुआ है मिला जो आर्टिकल दो है।

38. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि दीपक ने उसके पर्चा बयान में अभियुक्त तार मौहम्मद के विरूद्ध फायर करने के संबंध में कोई कथन नहीं कहे हैं और किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा यह नहीं बताया गया कि तार मौहम्मद ने दीपक पर कट्टे से फायर किया था और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के कोई फुटेज उसके द्वारा प्राप्त नहीं की गयी । उसके द्वारा किसी भी ऐसे गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं किये गये जो यह कथन कर सके कि उसने तार मौहम्मद द्वारा दीपक को गोली मारते हुए देखा हो । इस प्रकार प्रकरण में ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है जो यह कथन कर सके कि अभियुक्त तार मौहम्मद वक्त घटना घटनास्थल पर उपस्थित था और उसके द्वारा दीपक को गोली मारी गयी हो और स्वयं परिवादी ने पर्चा बयान भिन्न दिया है, बाद में रिपोर्ट भिन्न दी है और न्यायालय में इस संबंध में स्पष्ट रूप से विरोधाभासी साक्ष्य दी है।

39. अतः अभियोजन साक्ष्य से यह साबित नहीं हो सका है कि अभियुक्त ने दिनांक 27.01.2025 को समय करीब 7.00 पी.एम पर या इसके लगभग किसी समय सरहद मौजा राठ स्कूल अलवर के पास परिवादी/आहत दीपक कुमार शर्मा पर प्राणघातक हमला करते हुए देशी कट्टे से फायर कर उक्त आहत के शरीर पर गोली चलाकर इस आशय या ज्ञान सहित उपहति कारित की जिससे यदि उक्त आहत की मृत्यु कारित हो जाती तो अभियुक्त हत्या के अपराध का दोषी होता । अतः **अभियुक्त अपराध अंतर्गत धारा 109[1] बी.एन.एस के तहत दोषमुक्त**

किये जाने योग्य है।

40. जहां तक **धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** का संबंध है तो इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिया कि अभियोजन स्वीकृति को साबित नहीं किया गया है और कलैक्टर की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की है । तो अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क उचित प्रतीत होता है । इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **Ram Kishan & Anr. Us. State of Rajasthan D.B. Cr. APPEAL NO. 1285/2003** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि-

''Under Section 374 Cr.P.C against the judgment and order dated 21.08.2003 passed by Addion Date of Judgment : 6th September, 2013

16. The learned court below has rightly relied on the statements of eye-witnesses which have been further corroborated by the medical evidence that Ram Kishan has fired on the deceased which resulted his death and there is no reason to interfere in the conviction and sentence of the appellant Ram Kishan for the offence under Section 302 IPC.

The appellant Ram Kishan has also been convicted for the offence under Section 3/25 of the Arms Act as stated earlier, country made pistol and gun have been recovered from his instance but it has rightly been contested by the counsel for the appellants that the prosecution has to prove that sanction was given by the authority after application of mind, sanction has been exhibited as Ex.P/20 but sanctioning authority has not been examined to prove the sanction and in place of sanctioning authority, PW/21 Gyan Singh has been produced who is Upper Division Clerk in Judicial Section of Collectorate, Bharatpur. In absence of proper sanction, the conviction under Section 3/25 of the Arms Act seems to be bad in law and reliance has been placed on Vithal Mahadev Patil Vs. State 1996 Cr.L.J. 1796 and State Vs. Fulchand, AIR 1956 M.B. 50. In the present case, when sanction has not been proved and the prosecution has not proved the fact that after application of mind, the sanction has been awarded conviction cannot be sustained under Section 3/25 of the Arms Act at the same time, Ex.P/20 speaks itself that it has been awarded without application of mind as it contains the averment that 15 cartridges were also recovered at the instance of the appellant Ram Kishan whereas 15 car-

tridges have been seized from the place of occurrence and never been seized at the instance of the appellant. The appellant was not in possession of 15 cartridges which shows that Ex.P/20 has been accorded without application of mind. Ex.P/20 does not contain any details about the possession of the fire-arms by the appellant and in view of above, appellant Ram Kishan deserve to be acquitted for the offence under Section 3/25 of the Arms Act."

उक्त न्यायिक दृष्टांत Ram Kishan And Anr. V/S State Of Raj. D.B. Cr. Appeal No. **1285/2003** के पैरा नंबर 16 में यह स्पष्ट बताया गया है कि "जब तक अभियोजन स्वीकृति को साबित नहीं किया जाता तब तक धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।" हस्तगत प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति साबित नहीं की गयी है । **यद्यपि अभियुक्त से खाली कारतूस की बरामदगी साबित है, किन्तु अभियोजन स्वीकृति साबित नहीं होने से अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्ध घोषित नहीं किया जा सकता ।** अतः अभियुक्त अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

41. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार अभियुक्त को **अपराध अन्तर्गत धारा 109(1) बीएनएस, 3/25 आर्म्स एक्ट** के तहत दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

42. अतः **अभियुक्त तार मौहम्मद उर्फ तारा** पुत्र श्री जुहरू खां निवासी शेखपुर थाना सदर अलवर हाल अकबरपुर थाना अकबरपुर जिला अलवर को **अपराध अन्तर्गत धारा 109(1) बीएनएस तथा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत** दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

43. प्रकरण में जब्तशुदा जर्सी ऊनी बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट की जावे ।

44. **प्रकरण में जब्तशुदा खाली कारतूस बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे ।**

45. अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में लिये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

46. निर्णय आज दिनांक 07.08.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 3,अलवर